

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

क्रमांक:- 2034

दिनांक:- 29-9-2023

**निविदा सूचना**

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में oxyzen pipe line Supply & Installation के कार्य हेतु पंजीकृत संस्थाओं से मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	अमानत राशि रु.	निविदा विक्रय करने की अंतिम दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	oxyzen pipe line Supply & Installation का कार्य	200000	400	4000	09.10.23 अप. 5:00 बजे	09.10.23 अप. 5:00 बजे	10.10.23 11:00 AM

एवं

उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत जारी की जाकर राजकीय वेबसाईट [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) पर देखी जा सकती है। निविदा की अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

*Manoj*  
सदस्य सचिव

मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी नीमकाथाना

कार्यालय सदस्य सचिव मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

क्रमांक:- 2014

दिनांक:- 29-7-2023

उक्त निविदा सूचना आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

सदस्य सचिव

मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी नीमकाथाना

oxyzen pipe line Supply & Installation के कार्य हेतु निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदा प्रपत्र-

1. निविदादाता व्यक्ति/फर्म का नाम : .....
2. पता/टेलिफोन नम्बर सहित : .....
3. ई - मेल एड्रेस : .....

संलग्न प्रमाण पत्रों/दस्तावेज का विवरण:-

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हों या नहीं	जारी होने की तिथि/वैधता अवधि/बैंक का विवरण
1.	सूचना में अंकित धरोहर राशि रु..... का डी.डी. नम्बर..... दिनांक..... का विवरण		
2.	पैन कार्ड (आयकर)		
3.	ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में स्वघोषणा पत्र		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र		
5.	निविदा शुल्क राशि 200/- जमा कराने का साक्ष्य की प्रति		
6.	समान प्रकृति के कार्य का किसी भी राजकीय विभाग द्वारा जारी कार्यादेश/ अनुभव प्रमाण पत्र		
7.			

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंधित सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय फर्म की सील

**कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना**

**वित्तीय निविदा(स्टेज 2)  
सामग्री का विवरण**

Sl. No.	Item Description	estimated Qty	Units	rate entered by bidder per unit
1	2	4	5	6
1	SITC of MGPS of medically grade as per BSEN-13348 with third party certification from Lloyds/TUV degreased (ie free from oil, grease and particulate matters) seamless copper pipe cofirming to ASTM BSS and all copper joining done by brazing with AWSA5.8, classification BCuP-5 or BS 1845 following procedure in accordance with ASTM B828 after purging with nitrogen. All pipe cutting shall be carried out with a radial pipe cutter and copper pipe fitting's shall comply with B4 alloy designation. Adequate support shall be provided while laying pipeline testing shall be done at 17 bar and after testing pipe shall be painted with two coat of enamel paint as per colour codification as per ISO 7396-Part-1 2016.	50.00	Per KG	
	2 SITC of non lubricated ball type GM Isolation Valve with adapter & PTFE Seat having quarter turn handle opening of following sizes suitable for flow capacity 1500 LPM at 4.7 bar with maximum allowable pressure of 30 bar and suitable for working temperature ranging - 20°C to 130°C. Valve should be CE approved/ CE certified.	--	--	--
A	For 12 MM OD pipe	7.00	Each	
B	For 15 MM OD pipe	1.00	Each	
C	For 22 MM OD pipe	1.00	Each	
3	SITC of Gas outlet points (AR-4), (AR-7) and Vaccum (8.7 psig) for dispensing medical gases (oxygen/air/Vaccum) at point of use confirming to BSEN ISO 9170- 1:2008. The gas outlet are quick connect type It should have color coding for different gas source and should accept only respective adapters as required.	10.00	Each	
4	SITC of BPC (back pressure compensated) flow meter with humidifer made of nickel plated body , double jacketed with flow gradations marked on it . Desired flow will be setteled through rotary knob . Flow range should be between 0 to 15	5.00	Each	
	5. SITC of suction unit (Suction Controller and Collection Jar) with possibility to configure required capacity capacity collection Jar and should meets the requirements as per BSEN ISO 100793:2009. The unit must designed to operate with the vaccum line of MGPS. The collection Jar must accompanied with Vaccum regulator suitable for 0.14.7 psig with flow rate 0-55 Lmp (min) for operating temperature - 18°C to 50°C with ON/OFF facility. The collection Jar should be transparent, made of high quality polycarbonate that can be autoclaved at 121°C for 20 minutes for reuse and provided with auto stop to avoid over spill and contamination of the suction source when the jar collection reached optimized level. The complete unit supplied with filter to protect the source and pipe line from bacterial contamination.	--	--	--
A	600 ml Capacity collection Jar	5.00	Each	
	6. SITC of Valve box made of CRCA sheet duly powder coated with transparent window which is installed in the MGPS for oxygen and vaccum line and should comply with ENISO5211:2001 complete with ball type valves and gauges as required for oxygen compressed air and vaccum line (three gas)	--	--	--
A	For Two gas	1.00	Each	
	7 SITC of microprocessor based auto alarm system (digital type) suitable for medical gas service provided with audible and visual alarm for MGPS Zoning. It should monitors the current status of oxygen /compressed air pressure in distribution pipeline of central medical supply system and trigger the alarm to alert. The system should comply BSEN ISO:7396-1:2007	--	--	--


प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना



A	For Two Gas Services	1.00	Each
8	Ms Structure 8 Mtr	1	Job
9	Vacuum Pump Oil	5	ltr
10	Vacuum sensor For Vacuum Plant	1	Each

1. वित्तीय निविदा अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
2. विभाग द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. काट कर भुगतान किया जावेगा।
3. उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमारे हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।


हस्ताक्षर निविदादाता

  
 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
 जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

**निविदा की सामान्य शर्तें**

1. सामग्री गुणवत्ता युक्त ही होनी चाहियें।
2. निविदा प्रपत्र व शर्तें एवं डीडी आदि तकनीकी बोली के लिफाफे के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
3. वित्तीय बिड तथा तकनीकी बिड पृथक-पृथक लिफाफे में बन्द दोनो बिड (वित्तीय तथा तकनीकी) एक लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत करनी होगी। सम्मिलित बिड (वित्तीय तथा तकनीकी बिड ) एक ही लिफाफे में प्रस्तुत करने पर बिड अस्वीकृत कर दी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित बिडदाता की होगी।
4. प्राप्त बिडों में जिन निविदा दाता की तकनीकी बिड पारित होती है उन्ही की वित्तीय बिड खोली जायेगी।
5. निविदा में दर प्रति नग के अनुसार अंकित की जावे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।
6. दरें निविदा प्रपत्र अनुसार ही दी जावेगी। इसमें किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
7. आपूर्ति की गई सामग्री के बाद यदि कोई सामग्री अनुपयोगी रहती हो तो चिकित्सालय द्वारा कय वापसी पर स्वीकार करनी होगी।
8. (अ) यदि किसी कारणवश निविदायें खोलने की दिनांक को सार्वजनिक अवकाश रहता है या अन्य परिस्थिति उत्पन्न होती है तो अगले कार्य दिवस पर निविदाएं खोली जावेगी।  
(ब) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सभी निविदाएं नहीं खोली जा सकती हे तो अगले कार्य दिवस में शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रहेगा।
9. निविदादाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।
10. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। सशर्तें निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. निविदादाता को सुचना में अंकित धरोहर राशि का डीडी प्रस्तुत करना आवश्यक है इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नीमकाथाना होगा।
13. निविदा एवं निविदा के किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग / सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित/आरक्षित होगा।
14. माल की आपूर्ति/ Installation मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में ली जाएगी।
15. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा नियत समय (1 माह) के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
16. उपरोक्त समस्त सामग्री की वारंटी एक वर्ष की रहेगी।
17. इस कार्य की रिपेयर व मरम्मत की आवश्यकता होने पर एक वर्ष तक निविदादाता को बिना किसी शुल्क के अस्पताल प्रशासन द्वारा सूचित करने पर तुरंत प्रभाव से बिना किसी विलंब के रिपेयर व मरम्मत का कार्य करना होगा।

  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना

18. निविदादाता द्वारा इस कार्य की समान प्रकृति के कार्य का किसी भी राजकीय विभाग द्वारा जारी कार्यादेश/ अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदित वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षति पूर्ति का क्लेम करने के अधिकृत नहीं होगा।
20. करार निक्षेप :-  
 (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने के 3 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।
21. भुगतान :-  
 (1) राशि का भुगतान दिए गए आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जाएगा।  
 (2) भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जाएंगे।  
 (3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्रोत पर की जाएगी।  
 (4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-
- 1(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।  
 (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।  
 (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।  
 (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।
- 2 परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
3. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न किये सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

प्रमुख निविदा अधिकारी  
 जिला निविदाध्यक्ष, नौकवाणा




4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

23. वसूलियां :-परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।

24. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील  
नाम एवं मोबाइल नं.....